प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 05.01.2025

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा महिला की अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने व जान से मारने की धमकी देकर 08 लाख रुपये ऐंठ लेने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 02 मोबाईल फोन बरामद।

दिनांक 03.01.2025 में वादिया मुकदमा द्वारा थाने पर सूचना दी गयी कि अभि0 द्वारा मेरे अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने और उक्त फोटो व वीडियों को रिश्तेदारों को भेजने और मेरे पति के जीवन को खतरे में डालने की लगातार धमकी देकर पैसे ऐंठने के संबंध में तहरीर थाने पर प्राप्त हुई, उक्त सूचना पर तत्काल थाना नन्दग्राम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्थानीय पुलिस द्वारा लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना पर दिनांक 05-01-25 को चिरंजीवी विहार के मन्दिर फाटक के पास से अभियुक्त अजय को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त दो मोबाईल फोन बरामद किये गये। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त अजय सिंह अधिकारी ने पूछताछ में बताया कि वर्ष 2021 में जब मैं ICICI बैंक में कार्यरत था, तो वादिया वहां पर खाता खुलवाने के लिए आयी थी, उसके बाद हम दोनों की आपस में दोस्ती हो गयी, और हम लोग कभी कभी मिलने लगें। तब मैनें एक दिन अपने काम से वादिया से उसकी हार्ड डिस्क मांगी थी, जो कि खाली थी। हार्ड डिस्क का डिलिट हुआ डाटा मैनें रिकवर किया तो वादिया व उसके पति के अश्लील फोटो व वीडियो मेरे हाथ लग गये। उन्हीं फोटो व वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर मैने वादिया से करीब 8 लाख रुपये एक बार में व कई बार में 1.5 लाख रुपये ऐंठ लिये थे। वे फोटो व वीडियो मैनें वादिया के पति के मो0फोन पर भी भेजे थे। उन्हीं पैसों से अपने घुमने फिरने व महगें कपडे व मो0फोन के शौक पूरा कर रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अजय सिंह अधिकारी पुत्र श्री कुशल सिंह अधिकारी निवासी 118 चिरंजीव विहार पी.एस. कवि नगर जिला गाजियाबाद

उम्र 26 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

अभि0 अजय सिंह अधिकारी उपरोक्त के विरुद्ध थाना कविनगर पर हत्या का प्रयास का 01 अभियोग, व आर्मस एक्ट का 01 अभियोग, थाना नन्दग्राम पर रंगदारी व ब्लैकमेलिंग का 01 अभियोग, कमि0 गाजियाबाद पर कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण-

एक मोबाइल आई फोन एसई माडल रंग रोज गोल्ड
एक मोबाइल एप्पल आई फोन-16 रंग सिल्वर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 960 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

दिनांक 05.01.2025 को थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहन व्यक्ति चेकिंग के दौरान रहीसपुर से केन्द्रिय विद्यालय की तरफ जाने वाली रोड के पास से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 960 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण – गिरफ्तार किये हुए अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मैं यह गाँजा दिल्ली रेलवे स्टेशन से खरीद कर लाता हूँ उसके बाद गाँजे की प्लास्टिक की छोटी-छोटी पन्नियों में पुडिया बनाकर कालेज तथा विद्यालयों के आस पास जाकर युवा पीढ़ी तथा किशोर अवस्था के छात्रों तथा लोगों को महँगे दामों में बेच देता हूँ इससे मुझे मोटा मुनाफा होता है प्राप्त धन से मैं अपने महँगे शोक व खर्चों की पूर्ति करता हूँ हर बार की भाँति इस बार भी में कालेज तथा विद्यालयों के आस-पास ये पुडिया बेचने जा रहा था कि आपके द्वारा पकड़ लिया गया।

नाम पता अभियुक्त –

1.रितिक सैनी पुत्र प्रकाश सैनी निवासी म0नं0 280 जे ब्लाक सैक्टर 23 संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

960 ग्राम गांजा

गिरफ्तार करने वाली टीम

पुलिस टीम थाना मधुबन बापूधाम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, एलईडी टीवी व अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 04.01.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1. रवि पुत्र गंगाराम निवासी बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद 2. प्रवचन उर्फ प्रवीन पुत्र रामानारायण निवासी भीमनगर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद को चित्रावन सोसायटी कट के पास जल प्लांट रोड थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से थाना विजयनगर क्षेत्र से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल तथा थाना मसूरी क्षेत्र से चोरी की गयी 01 एलईडी टीवी तथा 01 अवैध चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस व अभियुक्त प्रवचन उर्फ प्रवीन के विरुद्ध 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम दोनों मिलकर चोरी करते हैं तथा अपने साथ लोगों को डराने व धमकाने हेतु अवैध चाकू रखते हैं। जो मोटरसाइकिल हमसे बरामद हुई है यह मोटरसाइकिल हमने थाना विजयनगर क्षेत्र से चोरी की थी जो एलईडी टीवी हमसे बरामद हुई है यह हमने थाना मसूरी क्षेत्र से कुछ माह पहले चोरी की थी। हम चोरी की मोटरसाइकिल व एलईडी टीवी को बेचने की फिराक में घूम रहे थे कि पुलिस चोकिंग में पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. रवि पुत्र गंगाराम निवासी बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद,मूल पता ग्राम सीही थाना अगौता जिला बुलंदशहर, उम्र करीब 26 वर्ष।

2. प्रवचन उर्फ प्रवीन पुत्र रामानारायण निवासी भीमनगर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र करीब 32 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, एलईडी टीवी व अवैध चाकू बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त चोरी का माल बरामदगी व अवैध चाकू बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा थाना विजयनगर व थाना मसूरी पर चोरी के कुल 02 अभियोग पंजीकृत हैं।

अभियुक्त प्रवचन उर्फ प्रवीन के विरुद्ध थाना विजयनगर गाजियाबाद पर लूट का प्रयास व आयुध अधिनियम का 01 अभियोग, थाना खोडा पर NDPS ACT व आयुध अधिनियम के 02 अभियोग, थाना सेक्टर- 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर पर चोरी/नकबजनी व आयुध अधिनियम के 03 अभियोग, थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर पर हत्या का प्रयास व आयुध अधिनियम के 02 अभियोग, थाना मसूरी गाजियाबाद पर आयुध अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत हैं। कुल पंजीकृत अभियोग-12, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 बैटरी, 2600/- रूपये व घटना में प्रयुक्त 01 सब्बल व एक छोटा हाथी वाहन बरामद।

दिनांक 25.12.2024 को वादी द्वारा थाना लोनी बॉर्डर पर एक तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा टीला शहबाजपुर में स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम से 08 बैटरी चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 05.01.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मैनअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1. सोनू पुत्र महावीर निवासी तिलक राम कालोनी गुलाब वाटिका थाना लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद, मूल पता ग्राम खामपुर लोहारी थाना कोतवाली बडौत बागपत, उम्र करीब 37 वर्ष 2. रुपक शर्मा पुत्र चेतन शर्मा निवासी गुलाब वाटिका थाना लोनी

बॉर्डर जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष को चेकिंग के दौरान टीला पाईपलाईन रोड से गिरफ्तार किया जिनके कब्जे से चोरी की 01 बैटरी, 2600/- रूपये व घटना में प्रयुक्त 01 सब्बल व एक छोटा हाथी वाहन बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण-</u>

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमने टीला शहबाजपुर लोनी में महाराष्ट्र बैंक के एटीएम से सब्बल से अन्दर का ताला तोडकर 08 बैटरी चोरी की थी जिनमें से 07 बैटरी हमने 8000/- रुपये में बेच दिया था। ये उन्ही रुपयो में से बचे हुए रुपये है। बाकी रुपये हमने खर्च कर दिये। आज हम बची हुई 01 बैटरी को बेचने जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-</u>

1.सोनू पुत्र महावीर निवासी तिलक राम कालोनी गुलाब वाटिका थाना लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद, मूल पता ग्राम खामपुर लोहारी थाना कोतवाली बडौत बागपत, उम्र करीब 37 वर्ष।

2. रुपक शर्मा पुत्र चेतन शर्मा निवासी गुलाब वाटिका थाना लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष।

<u>आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -</u>

अभियुक्तों के विरुद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

कब्जे से चोरी की 01 बैटरी, 2600/- रूपये व घटना में प्रयुक्त 01 सब्बल व एक छोटा हाथी वाहन बरामद।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम –</u>

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।